# निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

**राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई**

**(उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति)**

**निकट नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, प्रेमनगर, देहरादून**

उत्तराखण्ड सरकार

पत्रांक : 530/204/UWCDS/2022–23 दिनांक : 03 मार्च 2023

## विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना

उत्तराखण्ड राज्य में निराश्रित, विधवा, एकल एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने, वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के अवसर प्रदान करने, महिलाओं के समस्त आयामों को सम्मिलित करते हुए उन्हें सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण संबंधी प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

**अर्हता–**

1. सरकारी संस्थान/एजेन्सी, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाएँ जो महिला विकास क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रखती हों, द्वारा अपने प्रस्ताव प्राप्त कराये जा सकते हैं।
2. गैर सरकारी संस्थान/स्वयं सेवी संस्थाएँ/प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उत्तराखण्ड राज्य में ही कम से कम 03 वर्ष पूर्व सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/कम्पनी एक्ट/भारतीय ट्रस्ट एक्ट में पंजीकृत होनी अनिवार्य है तथा संस्था का विगत् 03 वर्ष का आडिट वार्षिक व्यय सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
3. पहाडी जनपदों में रजिस्टर्ड/कार्यरत संस्था/एजेन्सी का विगत 03 वर्षो का औसतन आय–व्यय न्यूनतम 15.00 लाख प्रतिवर्ष का एवं मैदानी जनपदों में रजिस्टर्ड/कार्यरत संस्था/एजेन्सी का विगत 03 वर्षो का औसतन आय–व्यय न्यूनतम 25.00 लाख प्रतिवर्ष का होना अनिवार्य है।
4. संस्था/एजेन्सी किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान से काली सूची में दर्ज न हों। इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र देना होगा।

इच्छुक संस्था/संस्थान/एजेन्सी अपना पूर्ण प्रस्ताव निदेशालय के उपरोक्त पते पर दिनांक 18 मार्च 2023 सांय 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्रस्ताव को तैयार करने हेतु दिशा निर्देशिका व बजट शीट को विभाग की वैबसाइट www.wecd.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी की संस्तुति सहित निर्धारित तिथि तक निदेशालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। उक्त के संबन्ध में योजना के अंतर्गत प्रस्ताव चयन/निरस्तीकरण से सम्बन्धित समस्त अधिकार निदेशक/उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के पास नियत रहेंगे। किसी भी अपूर्ण प्रस्ताव, नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्ताव अथवा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी भी दावे पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

**निदेशक/उपाध्यक्ष**

उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति